राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

क्रमांकः एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2014/53 दिनांकः–01/01/2020

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,राज0,जयपुर।

प्रेषिति,

समस्त जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर), (पंचायत) ।

विषय :– पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 में मतदान दल के सदस्यों के कार्य विभाजन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं (पंच एव सरपंच) के लिए आम चुनाव करवाये जाने हेतु अपने पत्रांक 6256 दिनांक 26.12.2019 के द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई हैं। मतदान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तीन चरणों में सम्पन्न होगा। उक्त चुनाव कार्यक्रम के अनुसार पंच पद का निर्वाचन मतपेटी से एवं सरपंच पद का निर्वाचन ई.वी.एम से सम्पन्न कराया जायेगा, इस प्रकार मतदान बूथ पर दोनों प्रकार की मतदान प्रणाली का एक साथ प्रयोग किया जायेगा। पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव ई.वी.एम. अथवा मतपेटी से कराये जाने के लिए रिटर्निंग अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों हेतु अलग–अलग मार्गदर्शिका राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित की गई है। ये मार्गदर्शिकाऐं राज्य निर्वाचन आयोग की बेबसाईट (www.sec.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है। इन मार्गदर्शिकाओं में मतदान दल के सदस्यों का कार्य विभाजन, मतदान मतपेटी से अथवा ई.वी.एम के माध्यम से कराये जाने को ध्यान में रखकर तदनुरूप अंकित किया गया है परन्तु अब पंच पद का मतदान मतपत्र से तथा सरपंच पद का मतदान ई.वी.एम मशीन से होगा, ऐसी स्थिति के कारण मतदान दलों का कार्य विभाजन निम्नानुसार रहेगा। निर्वाचन के लिए मतदान दल में एक मतदान अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) तथा चार सहायक मतदान अधिकारी शामिल होंगे।

(1) प्रथम सहायक मतदान अधिकारी (चिन्हित मतदाता सूची एवं मतदाता पर्ची) :–

1. प्रथम सहायक मतदान अधिकारी चिन्हित मतदाता सूची एवं मतदाता पर्ची का प्रभारी होगा और मतदाता की पहचान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विर्निदिष्ट फोटो दस्तावेजों के आधार पर मतदाता की पहचान के साथ–साथ **अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि उस मतदाता की बांयी तर्जनी पर अमिट स्याही का कोई निशान तो नहीं है।**
3. इसके पास निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति एवं सरपंच पद के लिए काम आने वाली सफेद रंग की मतदाता पर्ची होगी।
4. मतदाता की पहचान हो जाने पर यह अधिकारी मतदाता की प्रविष्टि के समस्त विवरण को जोर से बोलेगा जिससे द्वितीय मतदान अधिकारी और पीछे बैठे हुए पोलिंग एजेन्ट सुन सकें। मतदान अभिकर्त्ता यदि चाहें तो इस वक्त पहचान बाबत् एतराज उठा सकते हैं।

   पहचान हो जाने के तुरन्त बाद यह अधिकारी प्रत्येक ऐसे मतदाता के नाम के नीचे लाईन (Underline) खींच देगा और यदि मतदाता महिला है तो महिला मतदाता के नाम के बायीं तरफ टिक (√) लगायेगा तथा यदि मतदाता, मतदाता सूची में थर्ड जेन्डर के रूप में अंकित है तो उसके नाम के बायीं तरफ स्टार (*) लगायेगा। जिससे मतदान के अंत में गिनकर यह पता लगाया जा सके कि कुल कितने पुरूष मतदाताओं, कितने स्त्री मतदाताओं तथा कितने थर्ड जेन्डर के रूप में अंकित मतदाताओं ने मत दिये। दृष्टिबाधित/दिव्यांग मतदाता जिनको पीठासीन अधिकारी की सहायता की आवश्यकता हैं, ऐसे मतदाताओं के मामले में मतदाता की क्रम संख्या पर "AA" भी अंकित कर दें। जिस मतदाता की पहचान भारत निर्वाचन आयोग से जारी फोटो मतदाता पहचान पत्र से की जाये उसके नाम के आगे 'E' शब्द

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

लिखे। मतदान समाप्ति के पश्चात् उक्त प्रकार के अंकनों के आधार पर गणना कर सूचना एकत्र की जायेगी, मतदाताओं का उक्तानुसार वर्गीकरण पीठासीन अधिकारी की डायरी तथा Form of Statistics में अंकित किया जायेगा।

5. साधारणतया प्रत्येक मतदाता उम्मीदवारों के बूथों से पहचान पर्ची लाते हैं, जिसकी सहायता से पहला सहायक मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली में उसका नाम ढूंढता है, पर यदि कोई मतदाता अपने साथ ऐसी पर्ची नहीं भी लाये तो भी इस मतदान अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि ऐसे मतदाता का नाम ढूंढे तथा पर्ची न होने के कारण मतदाता को नहीं लौटायें।

नोट :– पहचान पर्ची सफेद कागज पर मुद्रित हो सकती है और जिस पर केवल निम्न विवरण छपाये जा सकते हैं :–

(i) जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत का नाम व निर्वाचन क्षेत्र संख्या।
(ii) मतदान केन्द्र की संख्या व नाम।
(iii) मतदाता का नाम।
(iv) मतदाता सूची में मतदाता की वार्ड संख्या और क्रम संख्या

इस पर उम्मीदवार का नाम व चुनाव चिन्ह छापना कानूनी अपराध है। पहचान स्थापित हो जाने के बाद पहचान पर्ची को फाड़कर कूड़ेदान की टोकरी में डालें, **फर्श पर नही फेंकें।**

6. मतदान बूथ पर बैठे मतदान अभिकर्त्ता/उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्त्ता यदि चाहे तो इस स्टेज पर किसी मतदाता की पहचान को चुनौती दे सकते है बाद में नही।
7. चुनौती (चैलेन्ज) होने के बाद की सारी कार्यवाही पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) द्वारा संपादित की जायेंगी।
8. पहचान स्थापित हो जाने के बाद प्रथम सहायक मतदान अधिकारी सरपंच पद के लिए सफेद रंग की मतदाता पर्ची जारी करेगा, तथा मतदाता को दे देगा। मतदाता अब द्वितीय मतदान अधिकारी (मतदाता रजिस्टर एवं अमिट स्याही) के पास चला जायेगा।

(2) द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी (मतदाता रजिस्टर एवं अमिट स्याही) :–

1. द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर एवं अमिट स्याही का प्रभारी होगा। इसके पास निम्नांकित सामग्री होगी:–
   (i) सरपंच पद के लिए मतदाता रजिस्टर।
   (ii) अमिट स्याही।
   (iii) बाल पैन।
   (iv) स्टॉम्प पैड।
2. प्रथम सहायक मतदान अधिकारी से प्राप्त सरपंच पद की सफेद मतदाता पर्ची की सहायता से द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी मतदाताओं की प्रविष्टि मतदाता रजिस्टर (प्ररूप–12) में करेगा और मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठा उक्त रजिस्टर में करायेगा। मतदाता रजिस्टर के प्रथम कॉलम में निरंतर क्रम संख्या लिखी जायेगी जो क्रम संख्या–1 से प्रारंभ होगी। रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ में 15 क्रम संख्यायें रखे जाने का प्रावधान रखा गया है और मतदान अधिकारी को चाहिये कि कुछ पृष्ठों पर इस कॉलम में अग्रिम रूप से क्रम संख्यायें अंकित कर लें। रजिस्टर के दूसरे कॉलम में मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में जिस वार्ड से संबंधित है उसकी संख्या तथा मतदाता की मतदाता सूची में जो क्रम संख्या है वह लिखी जायेगी। उदाहरण स्वरूप मतदान प्रारंभ होने पर प्रथम क्रम पर आने वाला मतदाता जिसका नाम वार्ड सं. 1 की निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या 518 पर दर्ज है के लिये मतदाता रजिस्टर के कालम (1) में क्रम संख्या–1 दर्ज होगी तथा दूसरे कॉलम में 1/518 दर्ज किया जायेंगा। दूसरे क्रम पर आने वाले मतदाता जिसका नाम वार्ड नं. 3 की मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में क्रम संख्या 313 पर है तो रजिस्टर के प्रथम कॉलम में क्रम संख्या–2 और द्वितीय कॉलम में 3/313 अंकित किया जायें ओर इसी प्रकार प्रविष्टियां रजिस्टर में होती रहेंगी।
3. मतदाता की पहचान किसी फोटो युक्त दस्तावेज, जो राज्य निर्वाचन आयोग ने इस प्रयोजनार्थ विर्निदिष्ट किये हैं से की जानी है। अतः ऐसे पहचान दस्तावेज के क्रमांक के अंतिम चार डिजिट (digit) मतदाता रजिस्टर के अभ्युक्तियां (Remark) वाले कॉलम 4 में लिखे जायेंगे । यदि ऐसे दस्तावेज की क्रम संख्या चार डिजिट से कम है तो उस स्थिति में दस्तावेज पर अंकित पूरी क्रम संख्या को अंकित कर लिया जायें।

www.rajteachers.com

4. मतदाता रजिस्टर में प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ कॉलम अभियुक्तियों (यदि कोई हो) की पूर्ति हो जाने के पश्चात द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी रजिस्टर के तीसरे कॉलम में (प्रथम व द्वितीय कॉलम में उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के सम्मुख) प्राप्त करेगा।
5. जब मतदान अधिकारी मतदाता के हस्ताक्षर कराये तो मतदाता से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह पूरे हस्ताक्षर करें, अर्थात वह पूरा नाम लिखें, यदि कोई साक्षर मतदाता हस्ताक्षर स्वरूप मात्र एक निशान लगाता है और यह तर्क दे कि यही उसके हस्ताक्षर है तो उस मतदाता की अंगूठा निशानी लेनी चाहिये क्योंकि साक्षर व्यक्ति के मामले में हस्ताक्षर का आशय यह है कि जिस दस्तावेज पर अधि–प्रमाणन स्वरूप वह अपने हस्ताक्षर करता है तो उसे अपना पूरा नाम दर्शित करते हुए ही हस्ताक्षर करने चाहिये। यदि साक्षर व्यक्ति उपरोक्त रीति से अपेक्षानुसार हस्ताक्षर करने से मना करता है तो उसका अंगूठा निशानी लेनी चाहिये और अंगूठा निशानी भी नहीं करता है तो उसे वोट देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।
6. यदि कोई मतदाता हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो मतदाता रजिस्टर में उसके बायें हाथ के अंगूठे का निशान लेना चाहिये। अंगूठा निशानी को पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। अंगूठा निशानी स्पष्ट होनी चाहिये अर्थात् न तो निशान हल्का होना चाहिये और न ही अधिक स्याही का। अंगूठा निशानी लेने के उपरांत अंगूठे पर लगी स्याही को गीले कपड़े के टुकड़े से मिटा देना चाहिये।
7. मतदाता यदि अंगूठा निशानी लगाता है तो बायें अंगूठे की छाप लगायी जावेगी। यदि बायें हाथ का अंगूठा नहीं है तो दायें हाथ के अंगूठे की छाप लगाई जायेगी। दोनों ही अंगूठे नहीं होने के मामले में बायें हाथ की किसी भी अंगुली जो तर्जनी से प्रारंभ हो की छाप लगायी जायेगी। यदि बायें हाथ में कोई अंगुली नहीं है तो दायें हाथ की अंगुली जो तर्जनी से प्रारम्भ हो की छाप लगाई जायेगी। यदि मतदाता के दोनों हाथों में कोई अंगुली नहीं है तो बायें हाथ के ठूठ पर और बायें हाथ का ठूठ नहीं हो तो दायें हाथ के ठूठ पर निशान लगा दें। दृष्टिबाधित/दिव्यांग मतदाता जिनको पीठासीन अधिकारी की सहायता की आवश्यकता हैं, ऐसे मतदाताओं के मामले मे मतदाता रजिस्टर (प्रारूप–12) के कॉलम–4 अभियुक्तियां में मतदाता सहायता का कारण (दृष्टिबाधित/दिव्यांग) अंकित करेगा। अब मतदाता तृतीय सहायक मतदान अधिकारी (जो पंच पद के मतपत्र एवं सरपंच पद की ईवीएम का प्रभारी होगा) के पास जायेगा।
8. **द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी मतदाता की बांयी तर्जनी को देखेगा कि उस पर अमिट स्याही का निशान तो नहीं है।** तत्पश्चात् उसके द्वारा मतदाता की बांयी हाथ की तर्जनी (अंगूठे के पास वाली पहली अंगुली) पर नख के बिल्कुल ऊपर ही कोमल चमड़ी पर और नख को छूते हुए अमिट स्याही लगाई जानी है। यह ध्यान रखे कि मतदाता की बांयी तर्जनी पर अमिट स्याही लगाते समय ब्रुश से अधिक स्याही न लगाये। ब्रुश के केवल ऊपरी भाग को स्याही में डुबोयें इससे अधिक स्याही लेने से बचा जा सकता है। ब्रुश को स्याही में डुबोने के बाद उसे इस तरह से लगायें कि त्वचा व नख के बीच रिज के ऊपर भी फैल जाय और अंगुली पर निशान रह जाय। यह सुनिश्चित कर लें कि स्याही लगाते समय मतदाता की तर्जनी सीधी है और स्याही लगाने के तत्काल बाद कम से कम 30 सैकण्ड़ तक उसे सूखने का समय दें एवं सुनिश्चित करें कि मतदाता अमिट स्याही को रगड़ने न पायें। यह देखें कि निर्वाचक ने अपनी अंगुली पर लगे अमिट स्याही के निशान को निष्प्रभावी करने के लिए कोई तेल या चिकना पदार्थ तो नहीं लगाया है तो ऐसे तेल या चिकने पदार्थ को निर्वाचक की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाने से पूर्व कपड़े के टुकड़े से मतदान अधिकारी को साफ कर देना चाहिए। यदि किसी मतदाता के बांये हाथ की तर्जनी नहीं है, तो बांये हाथ की तर्जनी से शुरू होने वाली क्रम से किसी भी ऐसी अंगुली जो उसके बांये हाथ की है पर अमिट स्याही लगावें, यदि किसी के बांये हाथ में कोई अंगुली नहीं है तो उसके दायें हाथ की तर्जनी पर और यदि दांये हाथ की तर्जनी भी नहीं है तो दांयी हाथ की तर्जनी से शुरू होने वाली किसी भी अंगुली पर अमिट स्याही लगा दें, यदि उसके किसी भी हाथ में कोई भी अंगुली नहीं है तो क्रम से उसके बांये हाथ या दांये हाथ जो भी हो के छोर पर अमिट स्याही लगानी चाहिए। यदि किसी मतदाता के बांये हाथ की तर्जनी पर पहले से ही अमिट स्याही का चिन्ह विद्यमान है तो वहां यह समझा जायेगा कि उसने निर्वाचन में पहले ही अपना मत दे दिया है और उसे कोई मत नहीं देने दिया जायेगा। साथ ही किसी मतदाता को कोई मत तब तक नहीं देने दिया जायेगा जब तक वह

www.rajteachers.com

अपनी बांयी तर्जनी पर अमिट स्याही से चिन्ह नहीं लगवाये। महिला मतदाता की अंगुली नहीं छूनी है।

9. पुर्नमतदान के समय मूल मतदान में अमिट स्याही से लगे निशान पर ध्यान नहीं दिया जायेगा और मतदाता के बांये हाथ के बीच की अंगुली (Middle Finger) के नाखून की जड़ में अमिट स्याही का ताजा निशान लगाया जायेगा। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश कमांक 2235 दिनांक 25.06.2019 जारी किया हुआ है, जिसकी पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

(4) तृतीय सहायक मतदान अधिकारी (पंच पद के मतपत्र एवं सरपंच पद की ईवीएम का प्रभारी)

1. तृतीय सहायक मतदान अधिकारी पंच पद के मतपत्र एवं सरपंच पद की नियंत्रण यूनिट का प्रभारी होगा। इसके पास निम्नलिखित सामग्री होगी।
   (i) निर्वाचक नामावली की चिन्हित मतदाता सूची।
   (ii) पंच मतपत्र प्रत्येक वार्ड के लिए अलग–अलग (पहले से मुड़े हुये) होंगे।
   (iii) सरपंच पद की कन्ट्रोल यूनिट।
   (iv) बॉल पेन।
2. **तृतीय सहायक मतदान अधिकारी मतदाता की बांयी तर्जनी को देखेगा कि उस पर अमिट स्याही का स्पष्ट निशान है।**
3. प्रथम सहायक मतदान अधिकारी द्वारा जारी की गई सरपंच पद की सफेद मतदाता पर्ची की सहायता से तृतीय सहायक मतदान अधिकारी पंच पद के मतपत्र की संख्या के अन्तिम 3 अंक निर्वाचक नामावली की चिन्हित मतदाता सूची में मतदाता के नाम के आगे लिखेगा। उदाहरणार्थ यदि मतदाता को दिये जाने वाले मतपत्र की संख्या 1,00,331 हो तो केवल अंतिम 3 अंक यानी 331 ही लिखेगा लेकिन जहां मतपत्र क्रम संख्या में अंतिम तीन अंक शून्य हो तो वहां पूरी संख्या लिखी जायेगी। तत्पश्चात मुडे हुए पंच पद के मतपत्र को खोल कर मतदाता के दायें हाथ में देगा ।
4. तृतीय सहायक मतदान अधिकारी मतदाता से सरपंच पद की सफेद मतदाता पर्ची, जो प्रथम सहायक मतदान अधिकारी ने जारी की है को एकत्र करेगा, तथा ईवीएम से सरपंच पद का Ballot जारी करेगा। तृतीय सहायक मतदान अधिकारी मतदाता को सरपंच पद का मत रिकार्ड करने के लिये मतदान कक्ष (सरपंच वोटिंग कम्पार्टमेंट) में जाने की अनुमति देगा और मतदाता को अपना वोट ईवीएम पर रिकॉर्ड करने के पश्चात् चतुर्थ मतदान अधिकारी के पास जाने के लिए निर्देशित करेगा।
5. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस क्रम में मतदाता पर्ची जारी हुई है उसी क्रम में मतदान कक्ष में मतदाता को जाने की अनुमति दी गई है। यदि किसी अपरिहार्य कारण से इस क्रम का अनुपालन किसी मतदाता के मामले में नहीं हो पाता है तो जिस क्रम में मतदाता ने अपना वोट रिकार्ड किया है, सही क्रम की मतदाता रजिस्टर के अभियुक्तियां कॉलम (4) में टिप्पणी कर दी जायेगी और ऐसी ही समुचित प्रविष्टियां बाद के मतदाताओं, जिनका भी क्रम प्रभावित हो गया है, के सम्बन्ध में की जायेंगी।
6. जब मतदाता अपना मत रिकार्ड करने के लिये मतदान कक्ष में जायेगा तो मतदान कक्ष में रखी हुई मतदान यूनिट को क्रियाशील करने के लिये मतदान अधिकारी नियंत्रण यूनिट के बैलेट (Ballot) बटन को दबायेगा, जैसे ही बैलेट बटन दबेगा तो नियंत्रण यूनिट में लगी हुई "Busy" बत्ती लाल हो जायेगी और इसके साथ ही मतदान यूनिट में "Ready" बत्ती हरी हो जायेगी।
7. मतदान कक्ष में स्थापित मतदान यूनिट (Ballot Unit) में मतदाता जब अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम व चुनाव चिन्ह अथवा नोटा (इनमें से कोई नहीं) के चुनाव चिन्ह् के सामने बटन को दबायेगा तब संबंधित उम्मीदवार/नोटा के सामने की बत्ती (Lamp) लाल दिखने लग जायेगी और मतदान यूनिट के उपर हरी बत्ती बंद हो जायेगी। इसके अतिरिक्त इसी के साथ बैलेट यूनिट में बीप की आवाज भी सुनाई देगी। कुछ ही सेकिण्डों में बीप की आवाज समाप्त हो जायेगी और संबंधित मतदान यूनिट में संबंधित उम्मीदवार/नोटा की लाल बत्ती बंद हो जायेगी साथ ही नियंत्रण यूनिट में "Busy" की लाल बत्ती भी बंद हो जायेगी। इन बत्तीयों के बन्द होने और बीप की आवाज समाप्त होने से यह पता चल जायेगा कि मतदाता ने अपना मत रिकार्ड कर दिया है। इसके बाद मतदाता मतदान कक्ष से बाहर आ जायेगा और मतदाता चतुर्थ मतदान अधिकारी के पास जायेगा।

www.rajteachers.com

8. किसी भी समय मतदान कक्ष में एक से अधिक मतदाता को नहीं जाने दिया जायेगा और जब तक पहले वाला मतदाता मतदान कक्ष से बाहर नहीं आयें तब तक नियंत्रण यूनिट का "Ballot " बटन नहीं दबाया जायेगा।
9. मतदान के बीच किसी भी समय रिकार्ड किये गये मतों की संख्या की जानकारी लेने के लिये नियंत्रण यूनिट के "Total" बटन को दबा कर यह संख्या ज्ञात की जा सकती है और मतदाता रजिस्टर की प्रविष्टियों से मिलान किया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी सुसंगत प्रविष्टियों को करने के लिये पीठासीन अधिकारी को समय–समय अर्थात् प्रातः 10.00 बजे, 1.00 बजे, 3.00 बजे तथा मतदान समाप्ति पर रिकार्ड किये गये मतों की संख्या को ज्ञात करना चाहिये। "Total" बटन तभी दबाना चाहिये जब नियंत्रण यूनिट की "Busy" बत्ती जली हुई नहीं हो।

(5) चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारीः– चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी पंच चुनाव मतपेटी का प्रभारी होगा। इसके पास निम्नलिखित सामग्री होगी।

(i.) ऐरोक्रास मार्कसील।
(ii.) बैंगनिया रंग का स्टाम्प पैड।
(iii.) सफेद कागज की शीट।
(iv.) सीलबन्द मतपेटी (पंच पद के लिए)

मतदाता अपना सरपंच पद का मत ईवीएम में रिकॉर्ड करने के पश्चात् चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी के पास पंच पद का मतपत्र (जिसे तृतीय सहायक मतदान अधिकारी ने जारी किया है) साथ लेकर आयेंगा। चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी मतदाता की अमिट स्याही का निरीक्षण करेगा। अगर किसी कारण से मतदाता के अमिट स्याही नहीं लगी हुई है, तो मतदाता की बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही लगाई जायेंगी। चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी ऐरोक्रास मार्क सील पर दोनों तरफ के क्रॉसों पर स्टाम्प पेड से स्याही लगाकर मतदाता को ऐरोक्रास सील देगा। यदि मतदाता मत अंकित करने की विधि समझना चाहे तो उसे सफेद कागज की शीट पर एक निशान लगाकर भी समझा दें। मतदाता को मतपत्र पर मत अंकित करने के पश्चात् मतपत्र को मोड़ने की विधि को भी समझा दिया जायें। साथ ही मतदाता को यह जरूर बतायें कि वोटिंग कम्पार्टमेंट में से मतपत्र पर मत अंकित करने के पश्चात् मोडकर लायें, जिससे उसका मत गुप्त रहे अर्थात कोई अन्य नहीं देख पायें कि उसने किसको मत दिया है। मतदाता को यह भी बतायें कि पंच पद के मतपत्र पर मत अंकित करने के पश्चात् मतपत्र इस मतपेटी में डालना है और ऐरोक्रास सील वापस लाकर देनी हैं। मतदाता अपना मुड़ा हुआ मतपत्र मतपेटी में डाल देगा एवं उसके पश्चात् मतदाता बूथ से बाहर चला जायेंगा। प्रत्येक मतदाता के मत रिकार्ड करने के लिये यह प्रक्रिया चलती रहेगी।

पंच पद का मतदान मतपेटी से एवं सरपंच पद का मतदान ई.वी.एम से होने के कारण मतदान दलों की सुविधा के लिए मतदान बूथ का मॉडल ले–आउट प्लान संलग्न किया गया है। जिसका उपयोग आवश्यकता एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मतदान दलों द्वारा किया जा सकता है।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

क्रमांकः एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2014/54-56
दिनांकः– 01/01/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. निजी सहायक, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
3. समस्त शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

www.rajteachers.com

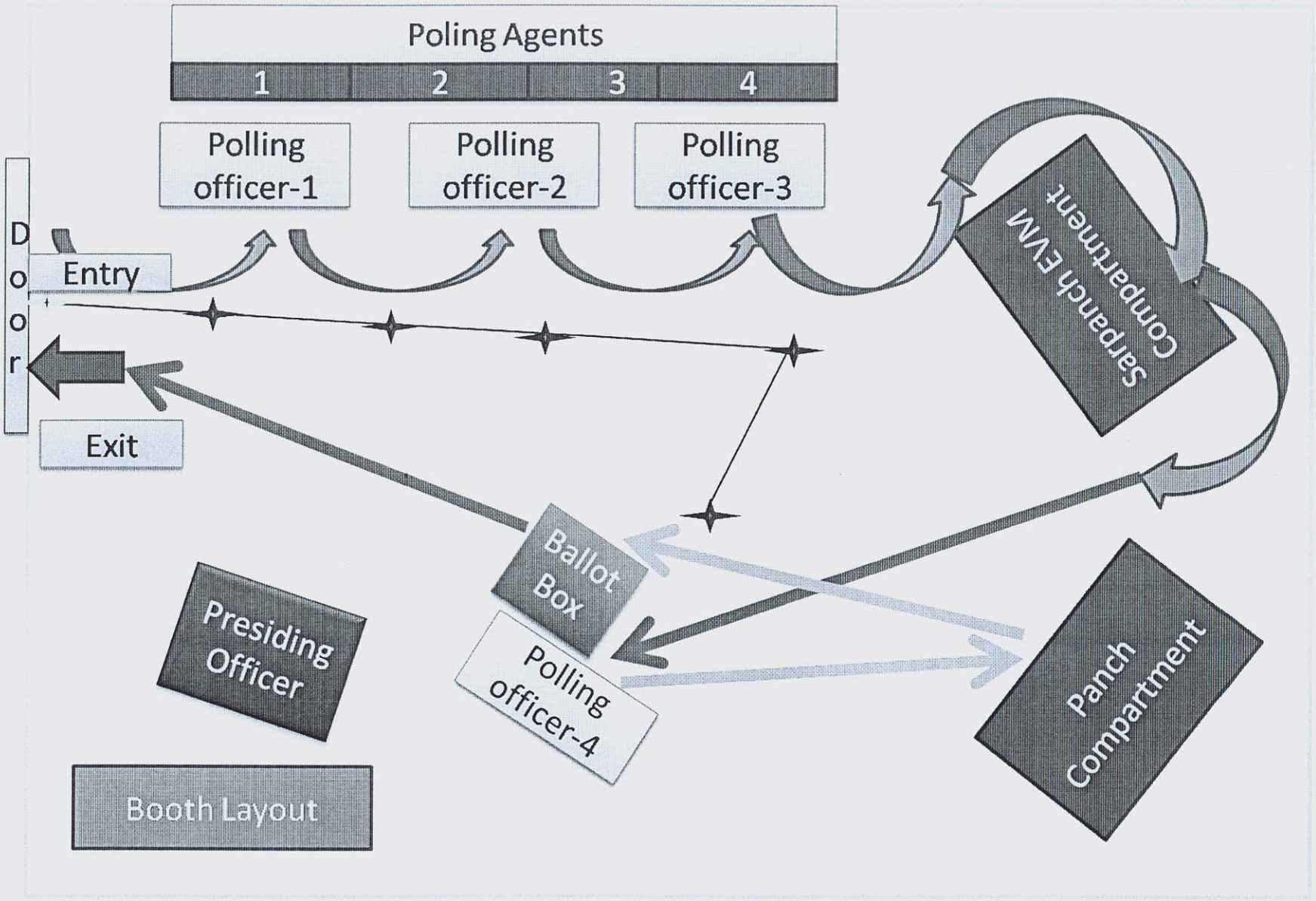
Poling Agents
1
2
3
4
Polling officer-1
Polling officer-2
Polling officer-3
Door
Entry
Exit
Sarpanch EVM Compartment
Ballot Box
Polling officer-4
Presiding Officer
Panch Compartment
Booth Layout